जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-18.05.2025**

एसओजी टीम शामली व थाना कोतवाली शामली की सुयंक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत व्यापारी से 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त 25,000/- रुपये का ईनामी हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त पुलिस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार कारतूस व मोटरसाइकिल बरामदः-

ज्ञात हो कि वादी श्री दीपक बंसल पुत्र स्व0 श्री अरूण कुमार बंसल निवासी मौहल्ला ब्राह्मनान जनपद शामली की थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत फुव्वारा चौक पर प्रिया मोबाइल हेडर्स के नाम से दुकान है। दिनांक 12.05.2025 की सुबह दुकान के अन्दर दुकान संचालक को कम्प्यूटर से टाईप बिना हस्ताक्षिरत एक चिट्ठी प्राप्त हुई थी, जिसमें 20 लाख रुपये की मांग की गई थी। थाना कोतवाली शामली पर उपरोक्त वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के अनावरण हेतु 04 टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 18.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट/रंगदारी की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी टीम शामली व थाना कोतवाली शामली की सुयंक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत व्यापारी से 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 25000/- रुपये के ईनामी हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त महताब पुत्र अब्बास निवासी ग्राम सोंटा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली को जंगल ग्राम लिसाढ़ में पुलिस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा मय 02 खोखा व 03 जिंदा कारतूस 315 बोर व एक मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी शामली भेजा गया है। अभियुक्त महताब उपरोक्त थाना थानाभवन का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर अपराधी है तथा कुर्बान गैंग का सक्रिय सदस्य है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का उद्देश्यः- घायल/गिरफ्तारशुदा अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं शामली निवासी व्यापारी दीपक बंसल को जानता हूँ। मैने अपने साथियो के साथ ड़कैती डाली थी तो थाना देवबंद पुलिस नें मुझे व मेरे साथियों को पकड़ लिया था तथा मैं जेल चला गया था। काफी समय बाद मैं जेल से बाहर आया और कुछ दिन शांत रहा अपने ऊपर चल रहे मुकदमो की पैरवी अपने खर्चो की पूर्ति व कर्ज चुकाने के उद्देश्य से मैने मौका पाकर दिनांक 12.05.2025 की रात्रि में फव्वारा चौक पर दीपक बंसल की मोबाइल की दुकान में 20 लाख रुपये की फिरौती देने व पुलिस को जानकारी न देने के सम्बन्ध में चिट्ठी डाली थी लेकिन दीपक नें चिट्ठी के सम्बन्ध में पुलिस को बता दिया था। फिर मैने दोबारा दिनांक 15.05.2025 को एक और चिट्ठी दीपक बंसल की दुकान में डाली थी और चिट्ठी में साफ साफ बताया था कि मैं कुर्बान गैंग का सदस्य महताब हूँ और जल्दी 20 लाख रुपये की फिरौती का इंतजाम करने व रुपये न देने पर जान से हाथ धोने की बात लिखी थी। दीपक बंसल द्वारा मुझे पैसे नही दिये थे इसी बात पर मैं दीपक बंसल को सबक सिखाने के लिये जा रहा था तो मुझे

पुलिस ने पकड़ लिया। अपने ऊपर चल रहे मुकदमों की पैरवी हेतु खर्च व कर्ज चुकाने के उद्देश्य से मैने दीपक बंसल की दुकान में चिट्ठी ड़ालकर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.महताब पुत्र अब्बास निवासी ग्राम सोंटा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 02 खोखा व 03 जिंदा कारतूस 315 बोर।

2.मोटर साईकिल स्पलेन्डर बिना नम्बर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मेहताब उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 577/2010 धारा 380 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 460/2017 धारा 364 ए भादवि थाना थानाभवनज जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 169/2023 धारा 395/412 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 26/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना थानाभवन जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 66/2023 धारा 395 भादवि थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

6.मु0अ0सं0 120/2023 धारा 395/412 भादवि थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

7.मु0अ0सं0 41/2023 धारा 395 भादवि थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

8.मु0अ0सं0 120/2023 धारा 395/412 भादवि थाना मुन्डाली जनपद मेरठ।

9.मु0अ0सं0 103/2023 धारा 398/307 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

10.मु0अ0सं0 87/2023 धारा 392/411 भादवि थाना ननौता जनपद सहारनपुर।

11.मु0अ0सं0 275/2023 धारा 395/412 भादवि थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

12.मु0अ0सं0 276/2023 धारा 395/412 भादवि थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

13.मु0अ0सं0 313/2023 धारा 307/399/402 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

14.मु0अ0सं0 411/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

15.मु0अ0सं0 230/2025 धारा 308(4) बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

16.मु0अ0सं0 236/2025 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 22 ग्राम स्मैक व स्मैक बैचकर प्राप्त 12,700/- रुपये नगदी बरामदः-</u>

दिनांक 17/18.05.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर मुसब्बर पुत्र रुस्तम निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 11.5 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त नें पूछताछ पर स्मैक को श्रीमती अनीसा पत्नी इसराईल निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली से खरीदना बताया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 18.05.2025 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी की घटना में लिप्त अभियुक्ता श्रीमती अनीसा पत्नी इसराईल निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 10.5 ग्राम स्मैक व स्मैक बैचकर प्राप्त 12,700/- रुपये नगदी सहित सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.मुसब्बर पुत्र रुस्तम निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.श्रीमती अनीसा पत्नी इसराईल निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 11.5 ग्राम स्मैक (अभियुक्त मुसब्बर से बरामद)।

2.अवैध 10.5 ग्राम स्मैक (अभियुक्ता श्रीमती अनीसा से बरामद)।

3.स्मैक बैचकर प्राप्त 12,700/- रुपये नगद (अभियुक्ता श्रीमती अनीसा से बरामद)।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार,कारतूस व चाकू बरामदः-</u>

आज दिनांक 18.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर व अवैध चाकू सहित बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.नाजिम पुत्र जमील निवासी ग्राम सोन्टा रसूलपुर थाना थानभवन जनपद शामली।

2.मुजम्मिल पुत्र उमरदीन निवासी मौहल्ला सैदमीर थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.एक अदद अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर (अभियुक्त नाजिम से बरामद)।

2.एक अवैध चाकू (अभियुक्त मुजम्मिल से बरामद)।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 500 ग्राम गांजा बरामदः-</u>

आज दिनांक 18.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 500 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.रोहित उर्फ छोटा पुत्र रामफल निवासी ग्राम पावटी कलां थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 500 ग्राम गांजा।